

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

13 / 2020
15.01.2020

ईशरया पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी खातोली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोक

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध
निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 22.10.2019 मिसल नम्बर 358 / 2019

उपस्थिति : (1) श्री देवी प्रकाश तिवाडी, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 09.06.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 22.10.2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 422 एवं 424 रकबा 1.05 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 420 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवायी गई है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण



जिला कलेक्टर
टोंक



कर फसल काश्त की है। अभीलान्ट ने कब्जा छोड़ने वाबत शपथ पत्र अर्पित भीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अभील अभीलान्ट रवीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अभीलान्ट को विधायित भूमि खसरा नम्बर 422 एवं 424 रकबा 1.05 है0 किरम चरागाह बाके ग्राम खालोली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर परचातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसन काश्त करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 90 दिवस की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अभीलान्ट की विधिवत तामील हुई है परन्तु अभीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अभीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयान से सिद्ध है। अभीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अभील अभीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अभीलान्ट्स एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अभीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अभीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अभीलान्ट की स्वयं की तामील हुई है। अभीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अभीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 422 व 424 रकबा 1.05 है0 किरम चरागाह बाके ग्राम खालोली तहसील उनियारा पर परचातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अभीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 257 /2018 निर्णय दिनांक 26.11.2018 से भूमि से बेदखल किया गया है। अभीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अभील अभीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 22.10.2019 यथावत रखा जाता है। रथगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



जालंधर
जिला कलेक्टर
जालंधर, टाक